

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1/2016/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के शासकीय सेवकों के मंहगाई भत्ते में 7% की वृद्धि ।

—•—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-1/2016/नियम/चार, दिनांक 3-6-2016 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन बैण्ड में वेतन+ग्रेड पे के योग पर 125% की दर से मंहगाई भत्ता देय था ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग पर निम्नांकित तिथि एवं दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये :-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते का प्रतिशत
दिनांक 01-12-2016 से (माह दिसम्बर, 2016 का वेतन माह जनवरी, 2017 में देय होगा)	132%

3/ माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 तक की अवधि की देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जावेगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे ।


4/ मंहगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

5/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।

6/ ये आदेश यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे ।

7/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अनिल कुमार)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
7. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
16. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
17. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
18. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
26. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. किसान भवन, भोपाल ।
27. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
28. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(अनंद चावहे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग